कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उत्तर प्रदेश

ऑडिट भवन, टी.सी.-35, V-1, विभूति खंड, लखनऊ-226 010

सं.प्र.म.ले. (ले.प.-II)/प्रशा./Strike/F. No. A-11/Vol. I/ 81 दिनांक 07.07.2025

कार्यालय आदेश

सी.ए.जी. मुख्यालय द्वारा पत्र संख्या-184-स्टाफ (जे.सी.एम.)/52-2025 दिनांक 19.05.2025 के माध्यम से केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी एवं श्रमिक परिसंघ, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 09.07.2025 को आवाहन की गयी देशव्यापी हड़ताल के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है । इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी अधिकारियों/कर्मचारिंयों को सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा, यदि किसी रूप में उक्त हड़ताल में सम्मिलित होकर कार्यालय के कार्य में बाधा उत्पन्न की जाती है या कार्यालय मर्यादा के प्रतिकूल कार्य किया जाता है तो उनके विरुद्ध केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम 1964 के प्रावधानों तथा मूल नियम 17 तथा 17-ए के अधीन कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।

इस सम्बन्ध में कार्यालय के सभी अनुभागों के नियंत्रक अधिकारियों से अपेक्षित है कि वह अपने समन्वय/विंग/अनुभागों में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्बंधित मुख्यालय द्वारा वांछित सूचना निर्धारित प्रारूप (प्रति संलग्न) में प्रशासन अनुभाग को दिनांक 10.07.2025 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

Office Order

Vide letter no. 184-Staff (JCM)/52-2025 dated 19.05.2025, The CAG Headquarters has informed about the nationwide strike call given by the confederation of central government employees and workers, New Delhi on 09.07.2025. In this regard, all officers and employees under administrative control of this office are informed that, if they participate in the said strike in any form and cause hindrance in the work of the office or if any act is done contrary to the office decorum, action will be proposed against them under the provisions of Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 and Fundamental Rules 17 and 17-A.

In this regard, the controlling officers of all sections of the office are required to ensure that the information desired by the Headquarters regarding the officers/employees posted in their coordination/wing/sections is mandatorily made available to the Administration Section in the prescribed format (Copy Attached) by 10.07.2025.

07.07.2025

वरिष्ठ उपमहालेखाकार/प्रशासन

सं.प्र.म.ले. (ले.प.-II)/प्रशा./Strike/F. No. A-11/Vol. I/TR-677 दिनांक 07.07.2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उ.प्र., लखनऊ
2. समस्त समूह अधिकारी (ए.एम्.जी.-II, ए.एम्.जी.-III, ए.एम्.जी.-IV)
3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/AMG-II, AMG-III, AMG-IV (कण्ट्रोल)

4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/समस्त अनुभाग (विधिक प्रकोष्ठ/सामान्य प्रशासन/पी.सी./प्रतिवेदन-PSU/Non-PSU/राजस्व/आई.टी.ए./DC& RA प्रकोष्ठ/NRA प्रकोष्ठ/हिंदी सेल/आई.टी.ए., प्रशासन)
5. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आ.टी.सेल को इस आशय के साथ प्रेषित कि कार्यालय आदेश की प्रति Office Website पर अपलोड कराने का कष्ट करें ।
6. शाखा कार्यालय, प्रयागराज ।
7. सूचना पट्ट ।
8. गार्ड फाइल।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन

Annexure

Category of the employee	PJP in the Category	No. of persons absent on 09th July 2025	No. of persons absent with the moto of taking part in the strike on 09th July 2025	Name of the Association/Federation to which the employee (s) is/are enrolled	No. of employees (Category wise) given Dies-Non